

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

प. 27 (36) ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/बीएसआर/2014-15

जयपुर दिनांक 26/2/15

जिला कलेक्टर एवं
अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति
जिला समस्त राजस्थान।

विषय:- वर्ष 2015-16 की दर अनुसूची विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर से तैयार करने बाबत।


प्रसंग:- विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 2.2.2015 एवं 11.2.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जिले द्वारा वर्ष 2015-16 की दर अनुसूची बीएसआर सॉफ्टवेयर से ही सृजित की जानी है। वर्ष 2015-16 की पुराने फॉरमेट (एक्सल) से तैयार की गई दर अनुसूची अनुमत नहीं की जावेगी।

आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2015-16 की दर अनुसूची विभागीय सॉफ्टवेयर से तैयार करने का श्रम करावें। इस विषय में किसी प्रकार की समस्या के कम में पूर्ण विवरण अधीक्षण अभियंता (प्रो0) पंचायती राज को (मो0 9414059989) ई-मेल seprd123@gov.com पर अवगत करावें।


भवदीय,


(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।


अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि) 26/2/15